



प्रपत्र-ख
शपथ-पत्र

BOOK No. 01 SL NO. 82

Date 10 SEP 2022

मैं, पुनम कुमारी पिता/पति रूपेश कुमार सिंह

उम्र 28 वर्ष, *नगर निगम/*नगर प्ररिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30

मोहल्ला ओरियन्टल, पोस्ट रमाणा, थाना कानी महमदपुर जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर प्ररिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 30 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर प्ररिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 30 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

पुनम कुमारी

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - रूपेश कुमार

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम- रूपेश कुमार

पता- वार्ड 30 ओरियन्टल कालोनी मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - संतोष कुमार

नाम- संतोष कुमार

पता- वार्ड 30 ओरियन्टल कालोनी मुजफ्फरपुर

Meekesh Kumar


Advocate

20.09.2022

E.N-2221/2003

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 20.09.2022



*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/शोध कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

Raj Kumar Rai

NOTARY, MUZAFFARPUR (BIHAR)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुल्फपुर.....जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर प्रचायतमुल्फपुर.....

के वार्ड संख्या30..... से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- पुनम कुमारी

पति/पति का नाम- रूपेश कुमार सिंह

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- | शून्य |
| (ii) | दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- | शून्य |
| (iii) | किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) | शून्य |
| (iv) | दिया गया दण्ड- | शून्य |
| (v) | काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- | शून्य |
| (vi) | कारावास से मुक्त होने की तिथि- | शून्य |

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? शून्य

- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- | शून्य |
| (ii) | न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- | शून्य |
| (iii) | क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- | शून्य |
| (iv) | यदि निष्पादित है, तो | शून्य |
| (क) | निष्पादन की तिथि- | शून्य |

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- शून्य

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है-
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- शून्य

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है-
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- शून्य
- (iii) अपराध संख्या- शून्य
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- शून्य
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- शून्य

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- शून्य

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- शून्य

(ii) शहरी भूमि- 4.25 धुर

(iii) भवन- उक्त वर्णित जमीन पर छत का दो मंजिल का मकान (360 वर्ग फीट जगह)
किंमत = 900000 (नौ लाख रूपय जगह)

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 40000 ₹

(ii) बैंक बैलेंस- 20000 ₹
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट शून्य
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- शून्य
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन BR06AP 2877 वाहन
BR06BX 9511 रफ़्तार
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण 20 ग्राम सोना 29800
(पूर्ण विवरण दें) 50 ग्राम चाँदी = 3500

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

① एच.डी.एफ.सी बैंक से शाखा
एवाएन नगर रोड से 400000 रु.
की कर्ज

② हीन्दू बैंक ऑफ इंडिया की
शामशौला शाखा से 900000 रु.
का कर्ज क्रेडिट

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज 10 वॉ पास
के नाम के साथ अंकित करें-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 20-09-2022

Mukesh Kumar
Advocate

E.N. 22/1/2022
20-09-2022

पुनम कुमारी

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।
स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने
की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।